

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 05/2018 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2018/00015

1. सुरेन्द्र कौर उर्फ छिन्दों पुत्री प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी हाल Brampton province of Ontario (Canada) Through Special power of Attorney Parthvipal singh S/o Avtar singh जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्त

बनाम

1. बलविन्दरसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहनगर पंचायत समिति अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. सेवा उर्फ जसवीर कौर पुत्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी हाल Brampton province of Ontario (Canada) Through Special power of Attorney Kewal krishan S/o Munshi ram by cast Mehts V.P.O Badalgarh tehsil Rital District Fatehabad hariyana.

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री नायब सिंह
श्री विजय कुमार पारीक

अभिभाषक अपीलांत
अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1

निर्णय


दिनांक 13.04.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

- 1— वादगत भूमि चक 54 जीबी के मुरब्बा नंबर 22, पत्थर नं. 228/456 के 1.389 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 27 पत्थर संख्या 236/457 के 1.478 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 37 पत्थर संख्या 226/457 के 0.770 हैक्टयर भूमि, इस प्रकार कुल 3.637 हैक्टयर भूमि एवं चक 57 जीबी का मुरब्बा 12 पत्थर संख्या 226/447 की 0.126 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 20 पत्थर संख्या 233/448 की 0.101 हैक्टयर भूमि अपीलांत के पिता प्यारा सिंह पुत्र पाखर सिंह के नाम दर्ज रही। अपीलांत के पिता

प्यारा सिंह के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत 54 जीबी से चक 54 जीबी के मुरब्बा नंबर 22, पत्थर नं. 228/456 के 1.389 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नंबर 27 पत्थर संख्या 236/457 के 1.478 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नंबर 37 पत्थर संख्या 226/457 के 0.770 हैक्टर भूमि, इस प्रकार कुल 3.637 हैक्टर भूमि एवं मु.न 11 पत्थर नं. 227/456 के 1.448 हैक्टर का आधा हिस्से का नामांतरकरण संख्या 190 दिनांक 05.02.2011 स्वीकृत किया, जो कि तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश क्रमांक 3717 दिनांक 25.01.2011 के प्रकाश स्वीकृत किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 25.01.2011 एवं सरपंच ग्राम पंचायत 54 जीबी द्वारा दर्ज नामांतरकरण संख्या 190 के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 12.10.201 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की अपील कतई मियाद बाहर नहीं थी और ना ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत दिये गये शपथ-पत्र का खण्डन ही विपक्ष पार्टी ने किया था मगर फिर भी अदालत मातहत ने अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। मियाद के बिन्दू पर अपील को खारिज करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपील के गुण अवगुण पर को विचार ही किया जो किया जाना कानूनन आवश्यक था। अपीलांट भारत से बाहर निवास कर रही है उसने पृथ्वीपाल सिंह को मुख्तयारनामा दे रखा है निर्णय की नकल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.2017 को दिया गया तथा नकल दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त हुई मगर पृथ्वीपाल सिंह स्वयं दिनांक 30.12.2017 से दिनांक 09.01.2018 तक वायरल बुखार से बिमार होने के कारण चलने फिरने से असमर्थ रहा अब ठीक होते ही आकर अपील पेश कर रहा है। देरी माफ का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र के पश है देरी माफ करके अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। अपीलांट के पिता प्यारा सिंह के विधिक वारिसान अपीलांट एवं अपीलांट की बहने सतो उर्फ सतनाम कौर, सेवा उर्फ जसवीर कौर एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 बलविन्द्र सिंह हैं। अपीलांट के पिता प्यारा सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त कृषि भूमि के संबंध में अपीलांट एवं अपीलांट की बहनों सतो उर्फ सतनाम कौर, सेवा उर्फ जसवीर कौर के पक्ष में अपनी स्वेच्छा में दिनांक 08.08.1989 को वसीयत पंजीकृत करवाई। लेकिन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार अनूपगढ़ से एक पक्षीय



संभागीय आयुक्त
दीकाशेर

तौर पर विरास्तन इंतकाल आदेश दिनांक 25.01.2011 को प्राप्त करके उसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत 54 जीवी से एक पक्षीय तौर पर उक्त वादगत भूमि में चक 54 जीवी के मुरब्बा नंबर 22, पत्थर नं. 228/456 के 1.389 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नंबर 27 पत्थर संख्या 236/457 के 1.478 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नंबर 37 पत्थर संख्या 226/457 के 0.770 हैक्टर भूमि, इस प्रकार कुल 3.637 हैक्टर भूमि एवं मु.न 11 पत्थर नं. 227/456 के 1.448 हैक्टर का आधा हिस्से का नामांतरकरण संख्या 190 दिनांक 05.02.2011 रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने स्वीकार करवाया। तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश के प्रकाश में सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुर द्वारा एक पक्षीय तौर पर अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये अनुचित व अवैध तरीके से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल स्वीकृत कर दिया, जो न्यायोचित नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।




विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की द्वितीय अपील में तहसीलदार अनूपगढ़ के मूल निर्णय दिनांक 21.10.2009 के आदेश की सत्यप्रति पेश नहीं की गई है, ना ही फोटो प्रति पेश की गई है। अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव है उक्त अपील में किसी भी स्तर पर तथ्यों पर सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि अपील अधुरी है। रेवेन्यु कोर्टस मैनुअल के प्रावधानों के विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रथम अपील को मियाद बाहर के आधार पर खारिज की थी फिर भी अपीलांट ने इस न्यायालय में भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट ने निर्णय की नकल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.2017 को दिया गया तथा नकल दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त हुई मगर अपीलांट ने अपील 12.01.2018 प्रस्तुत की। अपीलांट ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद कारण भी प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना भी दिनांक 07.04.2010 को जारी की गई। जिसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका के दिनांक 08.04.2010 के अंक में प्रकाशन करवाया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा इंतकाल दर्ज करने के संबंध में पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट भी मांगी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया है।

1. आरसीएम द्वितीय रूल 30,
2. आरआरडी 1980 पेज नं. 228
3. आरआरडी 1988 पेज नंबर 124
4. आरआरडी 1994 पेज नंबर 703
5. आरआरडी 2008 पेज नंबर 755


संभागीय आयुक्त
वीकानेर

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने चक 54 जीबी के मुरब्बा नंबर 22, पत्थर नं. 228/456 के 1.389 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नंबर 27 पत्थर संख्या 236/457 के 1.478 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नंबर 37 पत्थर संख्या 226/457 के 0.770 हैक्टर भूमि, इस प्रकार कुल 3.637 हैक्टर भूमि एवं मु.न 11 पत्थर नं. 227/456 के 1.448 हैक्टर का आधा हिस्से का इंतकाल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत 54 जीबी ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 190 दर्ज किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 को करते हुए अंकित किया कि प्रश्नगत इंतकाल के विरुद्ध लगभग 02 वर्ष पश्चात अपील प्रेषित की है। विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राह्य है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विलम्ब का कारण सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय ना होने पर अपील अपीलांट को खारिज कर दिया। जो कि नियमानुसार उचित हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 नियमानुसार जारी किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 का लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विश्राम सोना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर